रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-26032025-261972 CG-DL-E-26032025-261972

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 91] No. 91] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 26, 2025/चैत्र 5, 1947 NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 26, 2025/CHAITRA 5, 1947

> वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) (बजट प्रभाग) सामान्य अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2025

भारत सरकार की प्रतिभूतियों की बिक्री और निर्गमन (राजकोषीय बिल और नकद प्रबंधन बिल सहित)

फा. सं. 4(2)-बी(ड्ब्ल्यूएंडएम)/2018.—भारत सरकार, दोनों अधिसूचनाओं, दिनांक 27 मार्च, 2018 फा. सं. 4(2)-डब्ल्यूएंडएम/2018 का अधिक्रमण करते हुए और भारत के राजपत्र में प्रकाशित: असाधारण [भाग 1 – खंड 1, पृष्ठ 1 से 3 एवं 1 से 7], में एतदद्वारा, भारत सरकार के राजकोषीय बिल और नकद प्रबंधन बिल सहित भारत सरकार की प्रतिभूतियों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात सामूहिक रूप से "प्रतिभूतियां" कहा जाएगा) की बिक्री और निर्गमन हेतु नियम और शर्तों को अधिसूचित करती है।।

2. नाम और प्रयोज्यता

(i) इस अधिसूचना को 'भारत सरकार की प्रतिभूतियों की बिक्री और निर्गमन हेतु सामान्य अधिसूचना' कहा जाएगा।

2100 GI/2025 (1)

(ii) प्रतिभूतियों की बिक्री और निर्गमन इस अधिसूचना में सन्निहित नियम और शर्तों एवं किसी भी अन्य अधिसूचना के अधीन होगा जो किसी विशेष प्रतिभूति के सृजन और निर्गमन के संबंध में जारी की जा सकती है (जिसे इसमें इसके पश्चात "विशिष्ट अधिसूचना" कहा जाएगा)।

3. प्रतिभूतियों के प्रकार

भारत सरकार समय-समय पर निम्नलिखित प्रकार की प्रतिभूतियों का निर्गमन करती है:

- अधिकतम 364 दिवसीय अवधि के साथ विभिन्न अवधि की परिपक्वताओं वाले राजकोषीय बिल रियायती मूल्य पर निर्गमन किए जाते हैं तथा बिना किसी आवधिक कूपन भुगतान के अंकित मूल्य पर इनका मोचन किया जाता है।
- ii. अधिकतम 90 दिवसीय अवधि के साथ विभिन्न अवधि की परिपक्वताओं वाले नकद प्रबंधन बिल रियायती मूल्य पर निर्गमन किए जाते हैं तथा बिना किसी आवधिक कूपन भुगतान के अंकित मूल्य पर इनका मोचन किया जाता है।
- iii. निर्धारित कूपन दर वाली प्रतिभूतियाँ
 - क. प्रतिभूतियों की विशिष्ट कूपन दर जो कि अंकित मूल्य पर लागू होती है, जो नीलामी में या अन्यथा प्रासंगिक विशिष्ट अधिसूचना के अनुसार निर्धारित होती है तथा यह प्रतिभूतियों की अवधि के दौरान स्थिर रहती है।
 - ख. प्रतिभूतियों का निर्गमन अंकित मूल्य पर रियायत, समान मूल्य या प्रीमियम पर किया जा सकता है।
 - ग. प्रतिभृतियाँ मूल परिपक्वता सहित निर्गमित की जा सकती हैं जिसकी अवधि एक वर्ष से कम नहीं होंगी।
 - घ. प्रतिभृतियों को अंकित मूल्य पर या विशिष्ट अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसार मोचन किया जा सकता है।
- iv. मुक्त कूपन दर वाली प्रतिभूतियाँ, जैसे मुक्तदर वाले बॉन्ड (एफआरबी), मुद्रास्फीति/मंहगाई से जुड़े बॉन्ड, आदि।
 - क. प्रतिभूतियों में मुक्त कूपन दर होती है, जो संदर्भ दर जिससे यह जुड़ा हुआ है, में परिवर्तन के अनुसार आवधिक रुप में पुनः निर्धारित किया जाएगा और कूपन पुनःनिर्धारित किए जाने की आवधिकता विशिष्ट अधिसूचना के अनुसार होगी।
 - ख. प्रतिभूतियों का निर्गमन अंकित मूल्य पर रियायत, समान मूल्य या प्रीमियम पर किया जा सकता है।
 - ग. कूपन दर विशिष्ट अधिसूचना में निर्धारित किए अनुसार किसी भी न्यूनतम या अधिकतम दर यदि कोई हो, के अध्यधीन हो सकती है।
 - घ. प्रतिभूतियों को न्यूनतम एक वर्ष की मूल परिपक्वता अवधि के लिए निर्गमित किया जा सकता है।
 - ङ. प्रतिभूतियों का अंकित मूल्य पर या विशिष्ट अधिसूचना में विनिर्दिष्ट ढंग से मोचन किया जा सकता है।

v. शून्य कूपन बांड

- क. कम से कम एक वर्ष की मूल परिपक्वता के साथ जारी प्रतिभूतियाँ जो
 - i. रियायती मूल्य पर जारी की जाती हैं और विशिष्ट अधिसूचना के अनुसार अंकित मूल्य पर मोचन किया जाता है।
 - ii. अंकित मूल्य पर जारी की जाती हैं और विशिष्ट अधिसूचना के अनुसार मूल्य पर मोचन किया जाता है।
- ख. ऐसे बांडों पर कोई कूपन नहीं दिया जाता है।

vi प्रतिभूतियां जहां या तो अभिदान और / या पुनर्भुगतान किश्तों में प्राप्त / संदत्त होता है

- क. प्रतिभूतियों में एक निश्चित या मुक्त कूपन दर हो सकती है।
- ख. विशिष्ट अधिसूचना के अनुसार, प्रतिभूतियों के लिए भुगतान किश्तों में प्राप्त

किया जाता है या प्रतिभूतियों का पुनर्भुगतान किश्तों में किया जाता है।

ग. प्रतिभूतियों को कम से कम एक वर्ष की मूल परिपक्वता के साथ निगर्मित किया जा सकता है।

vii अंतर्निहित विकल्पों के साथ प्रतिभूतियां

- क. प्रतिभृतियों को अंतर्निहित विकल्पों के साथ निर्गमित किया जा सकता है।
- ख. विशिष्ट अधिसूचना के अनुसार, मोचन तारीख से पहले, 'कॉल विकल्प' वाली प्रतिभूतियों का भारत सरकार के विकल्प पर पुनर्भुगतान किया जा सकता है।
- ग. विशिष्ट अधिसूचना के अनुसार, मोचन तारीख से पहले, प्रतिभूति के धारक के विकल्प पर, 'पुट विकल्प' के साथ प्रतिभूतियों का पुनर्भुगतान किया जा सकता है।
- घ. प्रतिभूतियों को कम से कम एक वर्ष की मूल परिपक्वता के साथ निगर्मित किया जा सकता है।

viii विशिष्ट अधिसूचना में यथा अधिसूचित किसी अन्य विशेषता वाली प्रतिभूतियां।

4. प्रतिभूतियों पर लागू सामान्य नियम और शर्तें

सभी प्रतिभूतियों की बिक्री और निर्गमन पर लागू साधारण नियम और शर्तें निम्नानुसार होंगी:

- i. निवेश के लिए पात्रता
 - क. भारत में निवासी कोई भी व्यक्ति, जिसमें फर्में, कंपनियां, कारपोरेट निकाय, संस्थाएं, राज्य सरकारें, विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेश, भविष्य निधि, पेंशन निधि, न्यास, हिंदू अविभाजित परिवार और व्यष्टि सम्मिलित हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है।
 - ख. भारत के बाहर रहने वाला कोई भी व्यक्ति जिसको विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के तहत जारी विदेशी मुद्रा प्रबंध (ऋण लिखत) विनियम, 2019 की शर्तों के अनुसार प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति प्राप्त है।

ii. न्यूनतम अभिदान

प्रतिभूतियां न्यूनतम राशि ₹ 10,000 (अंकित मूल्य) के लिए और उसके बाद ₹10,000 के गुणकों में, या भारत सरकार के परामर्श से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य राशि में, निर्गमित की जाएंगी।

iii. भुगतान

सफल सहायक सामान्य खाता बही¹(एसजीएल)/ग्राहकों की सहायक सामान्य खाता बही² (सीएसजीएल) खाताधारकों द्वारा विशिष्ट अधिसूचना में उल्लिखित या आरबीआई द्वारा विनिर्दिष्ट तारीखों पर आरबीआई के साथ अपने चालू खाते को डेबिट करने के लिए एक प्राधिकरण के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण या आरबीआई द्वारा नियत किसी अन्य माध्यम से भुगतान किया जाएगा।

¹ एक सहायक सामान्य खाता बही (एसजीएल) खाते का अर्थ सरकारी प्रतिभूतियों में रखने या / और लेनदेन करने के लिए आरबीआई में खोला गया और सुस्थापित खाता होगा।

² सीएसजीएल ऐसे एजेंट के घटकों की ओर से एक एजेंट द्वारा आरबीआई में खोला गया और स्म्थापित एसजीएल खाता है।

iv. प्रपत्र

निवेशकों को प्रतिभूतियां उनके आरबीआई में सुस्थापित एसजीएल खाते में या सीएसजीएल खाते में जमा करके या सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 के उपबंधों के अधीन यथा अनुज्ञात ऐसे अन्य प्रपत्र में निर्गमित की जाएंगी।

v. कूपन

- क. प्रतिभूतियों पर कूपन का भुगतान आरबीआई के लोक ऋण कार्यालयों (पीडीओ) द्वारा किया जाएगा। आरबीआई/एजेंसी के किसी भी कार्यालय के साथ बॉन्ड लेजर खाते में रखी गई प्रतिभूतियों पर कूपन, जैसा कि आरबीआई द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे कार्यालय/एजेंसी में भुगतान किया जाएगा।
- ख. कूपन का भुगतान निकटतम पूर्ण रुपए में राशि पूर्णांकित करने के बाद किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए, पचास पैसे से कम कूपन राशि को अनदेखा कर दिया जाएगा और पचास पैसे या उससे अधिक को अगले रुपए में पूर्णांकित किया जाएगा, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो।

vi. पुनर्भुगतान

- क. प्रतिभूतियों का पुनर्भुगतान भारतीय रिजर्व बैंक के लोक ऋण कार्यालयों या किसी अन्य संस्था में किया जाएगा, जहां वे पुनर्भुगतान के समय पंजीकृत हों।
- ख. प्रतिभूतियों का पुनर्भुगतान विशिष्ट अधिसूचना में विनिर्दिष्ट मोचन तिथि पर या उनकी विनिर्दिष्ट मोचन तिथियों से पहले अंतर्निहित विकल्पों वाली प्रतिभूतियों में विकल्प धारक द्वारा विकल्प के प्रयोग के मामले में, जैसा भी मामला हो, किया जाएगा।
- ग. प्रतिभूतियों को उनकी विनिर्दिष्ट मोचन तिथि से पहले, भारत सरकार के परामर्श से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किसी भी तिथि पर पुनर्खरीद नीलामी के माध्यम से निर्धारित मूल्य पर वापस खरीदा जा सकता है।

vii. अंतरणीयता

- क. प्रतिभूतियों को सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 और उसके अंतर्गत बनाए गए सरकारी प्रतिभूति विनियम, 2007 के प्रावधानों तथा इस अधिसूचना और इस संबंध में जारी की जाने वाली किसी अन्य अधिसूचना की शर्तों के अनुसार नवीकृत, उप-विभाजित, समेकित, परिवर्तित या अंतरित किया जा सकता है।
- ख. प्रतिभूति का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण विशिष्ट अधिसूचना के अनुसार शर्तों के अधीन होगा।
- ग. भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूतियों का अंतरण, "विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम" (फेमा), 1999 के अंतर्गत बनाए गए विनियमों और समय-समय पर संशोधित उसके अंतर्गत जारी निर्देशों के अधीन होगा।

viii. लागू कानून

- क. प्रतिभूतियों में अभिदान करने या रखने वाले सभी व्यक्तियों के अधिकारों का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत सरकार के परामर्श से समय-समय पर जारी की जाने वाली अन्य अधिसूचनाओं और इस अधिसूचना की शर्तों के साथ पठित सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 और उसके अधीन बनाए गए सरकारी प्रतिभूति विनियम, 2007 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।
- ख. निवेशक या प्रतिभूतियों के धारक की कर देयता का आकलन और निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ भारत में वर्तमान में मौजूदा कर कानूनों के प्रावधान लागू होंगे।
- ग. प्रतिभूतियों से संबंधित कोई भी विवाद भारत के न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।

ix. प्रतिभूतियों की बिक्री और निर्गम की प्रक्रिया

प्रतिभूतियों की बिक्री और निर्गम के लिए परिचालन प्रक्रिया और अन्य विवरण जैसे नीलामी की तिथि और स्थान, अविध, नीलामी पद्धित आदि की घोषणा आरबीआई द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी करके या ऐसे अन्य माध्यमों से की जाएगी, जिन्हें आवश्यक समझा जा सकता है।

5. प्रतिभूतियों के निर्गम के तरीके

भारत सरकार निम्नलिखित तरीकों से प्रतिभूतियाँ जारी कर सकती है:

- i. नीलामी के माध्यम से प्रतिभूतियों का निर्गमन
 - क. प्रतिभूतियाँ या तो प्रतिफल के आधार पर या मूल्य के आधार पर नीलामी के माध्यम से जारी की जाएँगी। जहाँ आविधक कूपन का भुगतान करने वाली प्रतिभूतियों का निर्गम प्रतिफल के आधार पर है, वहाँ कूपन का निर्णय आरबीआई द्वारा आयोजित नीलामी में किया जाता है, जैसा कि इसके बाद तरीका बताया गया है या जैसा कि इस संबंध में समय-समय पर जारी की गई विशिष्ट अधिसूचना में बताया जाता है। मुक्त कूपन दर वाली प्रतिभूतियों को छोड़कर, प्रतिभूतियों में परिपक्वता तक एक ही कूपन होता है। जहाँ आविधक कूपन का भुगतान करने वाली प्रतिभूतियों का निर्गम मूल्य के आधार पर है, वहाँ कूपन पूर्व-निर्धारित होगा।
 - ख. नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी और गैर-प्रतिस्पर्धी दोनों बोलियाँ आरबीआई के कोर बैंकिंग समाधान (Solution) या आरबीआई द्वारा तय किसी अन्य प्लेटफ़ॉर्म/सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए। आरबीआई असाधारण परिस्थितियों में भौतिक बोलियाँ प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है।
 - ग. प्रतिस्पर्धी बोलीदाता, एक ही/अलग-अलग दर के प्रतिफलों या कीमतों पर जैसा भी मामला हो, कई बोलियाँ प्रस्तुत कर सकता है। किसी नीलामी में आवेदक द्वारा प्रस्तुत बोलियों की कुल राशि अधिसूचित राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए।
 - घ. प्राप्त बोलियों के आधार पर, आरबीआई अधिकतम प्रतिफल दर या न्यूनतम मूल्य, जैसा भी मामला हो, निर्धारित करेगा, जिस पर नीलामी में प्रतिभूतियों की खरीद के लिए बोलियाँ स्वीकार की जाएँगी। आवधिक कूपन का भुगतान करने वाली प्रतिभूतियों के लिए प्रतिफल आधारित नीलामी में निर्धारित प्रतिफल की अधिकतम दर उन प्रतिभूतियों के लिए प्रति वर्ष कूपन दर होगी।
 - ङ. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट खुदरा निवेशक, भारत सरकार के परामर्श से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार 'गैर-प्रतिस्पर्धी' आधार पर नीलामी में भाग ले सकते हैं।
 - च. भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार के परामर्श से, 'विशिष्ट अधिसूचना' में विनिर्दिष्ट राशि तक अतिरिक्त अभिदान रख सकता है।
 - छ. प्रतिभूतियों के निर्गम (प्रतिफल आधार या मूल्य आधार) के लिए नीलामी 'एकसमान मूल्य' पद्धति या 'एकाधिक मूल्य' पद्धति या किसी अन्य पद्धति के अनुसार आयोजित की जा सकती है, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर भारत सरकार के परामर्श से तय किया जाता है।
 - जहां नीलामी 'एकसमान मूल्य' पद्धित के अनुसार आयोजित की जाती है, वहां आरबीआई द्वारा निर्धारित अधिकतम प्रतिफल दर या न्यूनतम बोली मूल्य तक की दरों वाली प्रतिस्पर्धी बोलियां अधिकतम प्रतिफल दर या न्यूनतम बोली मूल्य पर स्वीकार की जाएंगी। अधिकतम प्रतिफल दर से अधिक या निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम की बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

- जहाँ नीलामी 'एकाधिक मूल्य' पद्धित पर आयोजित की जाती है, वहाँ आरबीआई द्वारा निर्धारित अधिकतम प्रतिफल दर या न्यूनतम बोली मूल्य तक की प्रतिस्पर्धी बोलियाँ संबंधित बोली दर पर स्वीकार की जाएँगी। प्रतिफल आधारित नीलामी में, सफल बोलीदाताओं, जिनके उद्धरण स्वीकृत प्रतिफल की अधिकतम दर से कम हैं, को मूल्य अंतर का भुगतान करना होगा। प्रतिफल की अधिकतम दर से अधिक या निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम बोली लगाने वाली बोलियाँ अस्वीकार कर दी जाएँगी।
- ज. भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार के परामर्श से, बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी बोलियों को पूर्णतः या आंशिक रूप से अस्वीकार कर सकता है।
- ii. त्वरित बिक्री के माध्यम से प्रतिभृतियों का निर्गमन
 - क. अधिसूचना में बेची गई प्रतिभूतियों के संबंध में जारी की गई राशि का उल्लेख किया /नहीं भी किया जा सकता है।
 - ख. सभी प्रकार से समुचित एवं पूर्ण रूप से भरे गए आवेदन पत्र भारतीय रिजर्व बैंक या इस प्रयोजन के लिए अधिसूचित किसी अन्य कार्यालय में, विनिर्दिष्ट तिथि को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित निर्दिष्ट समय/बैंकिंग समय की समाप्ति से पहले प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
 - ग. ऐसी प्रतिभूतियों की बिक्री पूरे वर्ष या उसके भाग के लिए बढ़ाई जा सकती है और बिक्री किसी भी दिन या भारत सरकार के परामर्श से आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट समय पर बंद की जा सकती है।
 - घ. भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार के परामर्श से, बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी बोलियों को पूर्णतः या आंशिक रूप से अस्वीकार कर सकता है।
- iii. मौजूदा प्रतिभूतियों के रूपांतरण में नई प्रतिभूतियों का अंतरण / निर्गमन
 - क. भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार के परामर्श से, प्रतिभूतियों के धारकों को निर्दिष्ट मूल्य पर या नीलामी में निर्धारित मूल्य पर कुछ मौजूदा प्रतिभूतियों को अन्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित करने का विकल्प प्रदान कर सकता है।
 - ख. आरबीआई बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी बोलियों को पूर्णतः या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।
 - iv. कोई अन्य तरीका, जो कि भारत सरकार द्वारा आरबीआई के परामर्श से अधिसूचित किया जा सकता है।

6. भारतीय रिजर्व बैंक की भागीदारी

आरबीआई समय-समय पर संशोधित राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 और उसके तहत बनाए गए नियमों में उल्लिखित असाधारण परिस्थितियों में, गैर-प्रतिस्पर्धी के रूप में प्राथमिक निर्गमों या अन्य निर्गमों में प्रतिभूतियों का अभिदान ले सकता है। आरबीआई को प्रतिभूतियों का आवंटन नीलामी में आने वाले कट ऑफ / भारित औसत मूल्य / प्रतिफल पर या भारत सरकार द्वारा तय किए गए तयशुदा मूल्य / प्रतिफल पर होगा।

भारत के राष्ट्रपति के आदेशानुसार, आशीष वच्छानी, अपर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(BUDGET DIVISION)

GENERAL NOTIFICATION

New Delhi, the 26th March, 2025

Sale and Issue of Government of India Securities (including Treasury Bills and Cash Management Bills)

F. No. 4(2)-B(W&M)/2018.—Government of India, in supersession of the two Notifications, both with F.No.4(2)-W&M/2018 dated 27^{th} March, 2018 and published in the Gazette of India: Extraordinary [Part I – SEC 1, page 4 to 6 and 8 to 13], hereby, notifies the terms and conditions for sale and issuance of Government of India Securities, including Government of India Treasury Bills and Cash Management Bills (hereinafter collectively referred to as "Securities").

2. Name and Applicability

- (i) This Notification shall be called as the 'General Notification for Sale and Issue of Government of India Securities'.
- (ii) Sale and issuance of Securities shall be subject to the terms and conditions contained in this Notification and any other notification that may be issued with respect to creation and issuance of any particular Security (hereinafter referred to as "Specific Notification").

3. Types of Securities

The Government of India may issue, from time to time, the following types of Securities:

- Treasury Bills of varying maturities with a maximum tenor up to 364 days issued at a discounted price and redeemed at face value without any periodic coupon payment.
- ii Cash Management Bills of varying maturities not exceeding 90 days issued at a discounted price and redeemed at face value without any periodic coupon payment.
- iii Fixed coupon rate Securities
 - a. Securities carry a specific coupon rate applied to the face value determined at auction or otherwise as specified in relevant Specific Notification and remaining fixed during the tenor of the Securities.
 - b. Securities may be issued at a discount, at par or at a premium to the face value.
 - c. Securities may be issued with original maturity of not less than one year.
 - d. Securities may be redeemed at face value or as specified in the Specific Notification.
- iv Floating coupon rate Securities, e.g., Floating Rate Bonds (FRBs), Inflation Linked Bonds, etc.
 - a. Securities carry a floating coupon rate which will be reset periodically according to the change in the reference rate to which it is linked and the periodicity at which coupon is reset will be as per the Specific Notification.
 - b. Securities may be issued at a discount, at par or at a premium to the face value.
 - c. Coupon rate may be subject to a floor or cap, if any, as prescribed in the Specific Notification.
 - d. Securities may be issued with original maturity of not less than one year.
 - e. Securities may be redeemed at face value or as specified in the Specific Notification.

v Zero Coupon Bonds

- a. Securities issued with original maturity of not less than one year which are
 - i. issued at a discounted price and redeemed at face value as per the Specific Notification.
 - ii. issued at a face value and redeemed at a price as per the Specific Notification.
- b. No coupon is paid on such bonds.
- vi Securities where either the subscription and/or repayment is received/paid in instalments
 - a. Securities may carry a fixed or floating coupon rate.
 - b. Payment for the Securities is received in instalments or the repayment of the Securities is made in instalments, as per the Specific Notification.

c. Securities may be issued with original maturity of not less than one year.

vii Securities with Embedded Options

- a. Securities may be issued with embedded options.
- b. Securities with 'Call Option' may be repaid at the option of Government of India, before the redemption date, as per the Specific Notification.
- c. Securities with 'Put Option' may be repaid, at the option of the holder of the Security, before the redemption date, as per the Specific Notification.
- d. Securities may be issued with original maturity of not less than one year.

viii Securities with any other feature as per the Specific Notification.

4. General Terms and Conditions applicable to Securities

The general terms and conditions applicable to sale and issuance of all Securities will be as under:

i. Eligible Investors

- a. Any person resident in India, including but not limited to firms, companies, corporate bodies, institutions, State Governments, Union Territories with legislature, provident funds, pension funds, trusts, Hindu Undivided Family and individuals.
- b. Any person resident outside India permitted to invest in Securities in terms of the Foreign Exchange Management (Debt Instruments) Regulations, 2019 issued under Foreign Exchange Management Act, 1999.

ii. Minimum Subscription

Securities will be issued for a minimum amount of ₹ 10,000 (Face Value) and in multiples of ₹ 10,000 thereafter, or any other amount as specified by the Reserve Bank of India (RBI), in consultation with Government of India.

iii. Payment

Payment shall be made by the successful Subsidiary General Ledger¹ (SGL)/ Constituents' Subsidiary General Ledger² (CSGL) account holders on such dates as mentioned in the Specific Notification or as specified by RBI, by means of an authority to debit their current account with RBI or by Electronic Fund Transfer or any other means as stipulated by RBI.

iv. Form

Securities shall be issued to the investors by credit to their SGL account or to CSGL account, maintained with RBI or in such other form as may be permitted under the provisions of the Government Securities Act, 2006.

¹ A Subsidiary General Ledger (SGL) Account shall mean an account opened and held with the RBI for holding or/and transacting in Government Securities

² CSGL is the SGL account opened and maintained with the RBI by an agent on behalf of the constituents of such agent

v. Coupon

- a. Coupon on Securities will be paid by the Public Debt Offices (PDOs) of RBI. Coupon on Securities held in Bond Ledger Account with any of the offices of RBI/ Agency, as specified by RBI in this behalf, will be paid at such Office/Agency.
- b. Coupon will be paid after rounding off the amount to the nearest whole rupee. For this purpose, amount of coupon less than fifty paise will be ignored and fifty paise or more will be rounded off to the next rupee, unless specified otherwise.

vi. Repayment

- a. Securities will be repaid at Public Debt Offices of RBI or any other institution at which they are registered at the time of repayment.
- b. Securities will be repaid on the date of redemption as specified in the Specific Notification or before their specified redemption dates in case of exercise of option by option holder in Securities with embedded options, as the case may be.
- c. Securities may be bought back before their specified redemption date, at a price determined through a buyback auction on any date determined by RBI in consultation with Government of India.

vii. Transferability

- a. Securities can be renewed, sub-divided, consolidated, converted or transferred in accordance with the provisions of the Government Securities Act, 2006 and the Government Securities Regulations, 2007 framed thereunder, and the terms of this notification and any other notification which may be issued in this regard.
- b. The conversion of security from one form to another will be subject to the conditions as per the Specific Notification.
- c. The transfer of Securities by person resident outside India shall be subject to Regulations framed under FEMA, 1999 and the Directions issued thereunder, as amended from time to time.

viii. Applicable Laws

- a. The rights of all persons subscribing to or holding the Securities shall be determined in accordance with the Government Securities Act, 2006 and the Government Securities Regulations, 2007, framed thereunder, read with the terms of this Notification and such other Notification as may be issued from time to time by RBI, in consultation with the Government of India.
- b. The provisions of the tax laws for the time being in force in India will be applicable for the purpose of assessing and determining the tax liability of the investor or holder of the Securities.
- c. Any dispute in relation to the Securities shall be subject to the jurisdiction of the Courts in India.

ix. Procedure of Sale and Issue of Securities

The operational procedure and other details such as date and place of auction, tenor, auction method, etc. for sale and issue of securities shall be announced by RBI by issue of a press release or through such other means as may be considered necessary.

5. Modes of issue of Securities

Government of India may issue Securities through following modes:

- i. Issue of Securities through auction
 - a. Securities will be issued through auction, either on yield basis or price basis. Where the issue of the Securities paying periodic coupon is on yield basis, the coupon is decided in an auction conducted by RBI in the manner as provided hereinafter or as stated in the specific Notification issued from time to time in this regard. The Securities carry the same coupon till maturity, except for Floating coupon rate Securities. Where the issue of the Securities paying periodic coupon is on price basis, the coupon will be predetermined.
 - b. Both competitive and non-competitive bids for the auction should be submitted in electronic format on RBI's Core Banking Solution or any other platform/ system as decided by RBI. RBI may permit submission of physical bids under exceptional circumstances.

- c. Competitive bidder may submit multiple bids at same/different rates of yield or prices, as the case may be. The aggregate amount of bids submitted by an applicant in an auction should not exceed the notified amount.
- d. On the basis of the bids received, RBI will determine the maximum rate of yield or the minimum price, as the case may be, at which bids for purchase of Securities will be accepted at the auction. Maximum rate of yield determined in a yield based auction for the Securities paying periodic coupon will be the per annum coupon rate for those Securities.
- e. Retail Investors, as specified by RBI, can participate in an auction on 'non-competitive' basis as per the Scheme of Non-competitive Bidding Facility announced by RBI, in consultation with the Government of India.
- f. RBI, in consultation with the Government of India, may retain additional subscription up to an amount as may be specified in the 'Specific Notification'.
- g. The auction for issue of Securities (yield basis or price basis) can be held as per 'Uniform price' method or 'Multiple price' method or any other method as decided by RBI, in consultation with Government of India from time to time.
 - Where an auction is held as per 'Uniform price' method, competitive bids with rates up to and
 including the maximum rate of yield or the prices up to and including the minimum bid price, as
 determined by RBI, will be accepted at the maximum rate of yield or minimum bid price. Bids
 quoted higher than the maximum rate of yield or lower than the minimum price so determined
 will be rejected.
 - Where an auction is held on 'Multiple price' method, competitive bids up to the maximum rate of yield or the minimum bid price, as determined by the RBI will be accepted at the respective bid rate. In yield-based auction, successful bidders, whose quotes are lower than the maximum rate of yield accepted, are required to pay the price differential. Bids quoted higher than the maximum rate of yield or lower than the minimum price so determined will be rejected.
- h. RBI, in consultation with Government of India, may reject any or all bids either wholly or partially, without assigning any reason thereof.
- ii. Issue of Securities through on tap sale
 - a. The amount of issuance may be/may not be indicated in the notification in respect of the Securities sold on tap.
 - b. Applications duly filled in and complete in all respect should be submitted to the office of RBI or any other office notified for the purpose, before the close of specified time/banking hours notified by the RBI on the specified date(s).
 - c. Sale of such Securities may be extended to whole, or part of the year and the sale may be closed at any time on any day or as specified by RBI, in consultation with the Government of India.
 - d. RBI, in consultation with the Government of India, may reject any or all bids either wholly or partially, without assigning any reason thereof.
- iii. Switching/Issue of new Securities in conversion of existing Securities
 - a. RBI, in consultation with Government of India, may provide the holders of Securities an option to convert certain existing Securities into other Securities at specified price or at price as determined in auction.
 - b. RBI may accept or reject any or all bids either wholly or partially, without assigning any reason thereof.
- iv. Any other mode, as may be notified by the Government of India, in consultation with RBI.

6. Participation by Reserve Bank of India

RBI may under exceptional circumstances as mentioned in the Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Act, 2003, as amended from time to time, and the Rules framed thereunder, subscribe to Securities in primary issues or in other issues, as a non-competitor. Allotment of Securities to RBI will be at the cut off/ weighted average price/yield emerging in the auction or at a negotiated price/yield decided by the Government of India.

By Order of the President of India, ASHISH VACHHANI, Addl. Secy.